न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 147 / 2016
वाद दायरी दिनांक : 27 / 06 / 2017
निर्णय दिनांक : 15/11/2019

1. श्रीमती सुगनीदेवी पत्नी स्व0 नारायण, जाति ब्राह्मण (पारीक) निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 (नाम हजफ किया गया)
2. रामकन्या उम्र 56 वर्ष पुत्री स्व0 नाराण पत्नी श्री गिरीश कुमार, जाति पारीक, निवासी बिचून हाल निवासी 86, बृजमण्डल कॉलोनी, जोशी मार्ग के सामने, झोटवाडा जयपुर, राज0।
3. अशोक कुमार दत्तक पुत्र छोटु उर्फ महेश कुमार, जाति ब्राहाम्ण (पारीक) निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— वादीगण

बनाम

1. शिवदयाल उम्र 82 वर्ष पुत्र स्व0 भूरामल, जाति ब्राह्मण पारीक, निवासी बिचून हाल प्लॉट नम्बर 1, बैंक कॉलोनी, बक्षी हेमराज की गली, पानों का दरीबा, जयपुर शहर।
2. सुरेशचन्द उम्र 67 साल
3. कमलेश कमार उम्र 49 साल
4. नरेन्द्र कुमार उम्र 43 साल

} पुत्रान स्व0 हनुमानप्रसाद, जाति ब्राहाम्ण (पारीक) निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

5. बालूराम उम्र 80 साल पुत्र स्व0 सांवलराम, जाति ब्राहाम्ण पारीक, निवासी पुराना फुलेरा, तेजाजी के मन्दिर के पास, फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
6. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
7. उपपंजीयक तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 53, एवं 188 राज0 काश्त0 अधि0–1955)

उपस्थिति – श्री पं. ज्ञानेश्वर नढदार
श्री एन.एस.पारीक
श्री महेश कुमार चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
श्री भैरूलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

श्री बलवन्त सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ल. 4
प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध कार्यवाही
एकतरफा अमल में लायी गयी।
प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 15/1/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2017 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया कि "अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 49, 50, 140, 141, 142, 149, 150, 151 कुल किता 24 कुल रकबा 19.10 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतारामपुरा, तहसील मौजमाबाद में वादीगण को 1/2 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 5 का नाम हजफ किया जाता हैं। इसी घोषित हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाता हैं तहसीलदार मौजमाबाद को आदेश दिये जाते है कि नक्शे कुरेजात तैयार कर दो प्रतियों में भिजवायें।"

दिनांक 26/09/2018 को तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक/भू.अ./48 दिनांक 25/06/2018 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किये गये।

दिनांक 26/09/2018 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा0 दी0 पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान किये जाने पर प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 का नाम हजफ किया गया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की नक्शे कुरेजात पर बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर नक्शे कुरेजात का अवलोकन कर सही होना जाहिर किया, वकील पक्षकारान ने निवेदन किया कि मुताबिक नक्शे कुरेजात प्रकरण डिक्री कर दिया जावें, जिसमें वकील पक्षकारान को कोई आपत्ति नही हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात का गहनता से अवलोकन किया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के अनुसार तैयार होकर प्राप्त हुये हैं अधिवक्ता पक्षकारान ने भी मुताबिक तहसीलदार मौजमाबाद के

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

नक्शे कुरेजात अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है, इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से मुताबिक नक्शे कुरेजात अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सीतारामपुरा, तहसील मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुरेजात बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा-अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा है.मे.
1.	अशोक कुमार दत्तक पुत्र छोटु उर्फ महेश कुमार, रामकन्या पुत्री स्व0 नारायण कौम ब्राह्मण सा0 बिचून खातेदार	18	0.15
		19	0.04
		20	0.21
		21	0.38
		22	0.72
		49	0.84
		24	0.43
		25	0.06
		26	0.45
		27	0.46
		31	0.23
		50	0.38
		32	0.90
		35	1.00
		36	0.06
		37	2.27
		39	0.50
		40	0.08
		140	0.17
		150	0.16
		151	0.06
		कुल किता 21	कुल रकबा 9.55 हैक्टेयर
2.	शिवदयाल पुत्र भूरामल हिस्सा 1/2 सुरेश चन्द कमलेश कुमार नरेन्द्र कुमार पि. हनुमान हिस्सा 1/2 कौम ब्राह्मण सा0 बिचून खातेदार।	140 मि.	2.07
		141	1.94
		142	1.14
		149	1.09
		150 मिन	3.31
		कुल किता 5	कुल रकबा 9.55 हैक्टेयर

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 15/1/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

मुद्रा

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर फोन : [illegible]

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

कॉपी डिक्री

(औ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय [illegible] एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) [illegible]

इजलास श्री [illegible] कुमार [illegible], आर.ए.एस.

श्रीमती [illegible] बनाम 1. [illegible] पुत्र स्व० [illegible] जाति [illegible]

[illegible] दावा बाबत [illegible]

[illegible] मुकदमा नं. 147/2018 [illegible]

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल करार स्वरूप श्री [illegible], श्री [illegible]

हाजिरी [illegible] मिनजानिब मुद्दई स्वरूप श्री [illegible], श्री [illegible]

मिनजानिब मुकदमा पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद [illegible] डिग्री [illegible] किया जाता है :- [signature]

मुवक्किल .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .... फीसदी ......सा आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) [illegible]

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 01 सन् 2019 को

जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			गुतफरिक		
गुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner